



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164]  
No. 164]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 10, 2012/चैत्र 21, 1934  
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 10, 2012/CHAITRA 21, 1934

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-1 प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2012

**सा.का.नि. 288(अ).**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में समूह 'क' और समूह 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2012 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पद को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट है।

5. आरंभिक गठन - उक्त अनुसूची में वर्णित पदों पर ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को नियमित आधार पर पदधारण किए हुए हैं इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उक्त प्रकाशन से पहले उनके द्वारा उक्त पद पर नियमित आधार पर की गई सेवा को अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उनकी पात्रता पर विनिश्चय करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

6. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह रामाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

तकनीकी न्याय संबंधी मनोविज्ञानी	* 01 (2010) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुराचिवीय	वेतन बैंड- 3; 15600-39100 रु.। ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण</b> : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्पा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों	<b>आवश्यक</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अपराध विज्ञान या रोग विषयक मनोविज्ञान के नियमित अनुक्रम में मास्टर डिग्री। (ii) अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान या अपराध विज्ञान / अपराध अन्वेषण का तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय :- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में डाक्टरेट डिग्री। (ii) रोग - विषयक मनोविज्ञान में प्रैक्टिस करने का तीन वर्ष का अनुभव। (iii) रोग - विषयक मनोविज्ञान में एम.फिल या न्याय संबंधी मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या रोग-विषयक मनोविज्ञान में एम.फिल। <b>टिप्पण I</b> - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण II</b> - अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के
---------------------------------	--	---	--	----------------	---	---

					के लिए विहित की गई है।)	अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।
--	--	--	--	--	-------------------------	---

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आभेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आभेदन किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) :-            केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी, कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी :-            (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या            (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड में वेतन 4800 रु. या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की है ; या            (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300 - 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है ; और            (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव है ।  <b>टिप्पण :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी/किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>	<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महानिरीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. उप महानिरीक्षक (प्रशासन ), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य</li> <li>3. निदेशक (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय - सदस्य</li> <li>4. निदेशक, केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला - सदस्य</li> <li>5. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (श्रेणी - I), केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला । -सदस्य</li> </ol>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
जीव विज्ञान विशेषज्ञ	* 01 (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 3; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण</b> : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	<b>आवश्यक</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मानव जीवविज्ञान/सूक्ष्म जीवविज्ञान/प्राणि विज्ञान/मानव विज्ञान (भौतिक) /वनस्पति विज्ञान में एम.एस.सी. डिग्री या न्याय संबंधी विज्ञान में एम.एस.सी. जिसमें बी.एस.सी. स्तर पर जीवविज्ञान/प्राणि विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो। (ii) किसी जीव विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला में तीन वर्ष का अनुभव। <b>वांछनीय</b> :- (i) मानव जीव विज्ञान/सूक्ष्म जीव विज्ञान/प्राणि विज्ञान/मानव विज्ञान(भैतिक) वनस्पति विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री। <b>टिप्पण I</b> - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण II</b> - अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्त/आमेलन जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

[भाग II—खण्ड 3(1)]

भारत का उपर्युक्त : असाधारण

(11) प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) :- केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी, कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी :- (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. में या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300 -34800 + ग्रेड वेतन 4600 रु. में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है ; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव है। टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी/किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	(12) पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- 1. महानिरीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक (प्रशासन), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य 3. निदेशक (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय - सदस्य 4. निदेशक, केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला - सदस्य 5. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (श्रेणी - I), केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला। -सदस्य	(13) प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
--	---	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
विस्फोटक विशेषज्ञ	* 01 (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 3; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)  <b>टिप्पण</b> : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	<b>आवश्यक</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या न्याय संबंधी विज्ञान में एम.एस.सी. जिसमें बी.एस.सी. स्तर पर रसायन विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो। (ii) विस्फोटक और अग्न्यायुद्ध के परीक्षण का पाँच वर्ष का अनुभव।  वांछनीय :- (i) रसायन विज्ञान में डाक्टरेट डिग्री। <b>टिप्पण I</b> - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण II</b> - अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।



(8)	(9)	(10)
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) :- केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार या विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/संघ राज्यक्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी, कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. में या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में नियमित आधार पर दो वर्ष सेवा की है ; या (iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300 - 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. में या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है ; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव हैं।</p> <p><b>टिप्पण :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी/किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महानिरीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष</li> <li>2. उप महानिरीक्षक (प्रशासन), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य</li> <li>3. निदेशक (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय - सदस्य</li> <li>4. निदेशक, केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला - सदस्य</li> <li>5. ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (श्रेणी - I), केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान प्रयोगशाला। - सदस्य</li> </ol>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप विधि सलाहकार	* 01 (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 3; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600 रु.	चयन	आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है )  टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री। (ii) दौडिक भाषणों के संचालन करने में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का विधि-व्यवसाय या राज्य न्यायिक सेवा में राज्य या केन्द्रीय सरकार के विधि विभाग में 10 वर्ष का अनुभव। (iii) कम्प्यूटर और इंटरनेट पर शब्द प्रक्रमण का बुनियादी ज्ञान। टिप्पण I - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण II - अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग को यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हाँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रान्ति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आमेलन, दोनों के न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति - ऐसे ज्येष्ठ लोक अभियोजक जिन्होंने वेतन बैंड 3; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है।  प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) /आमेलन: केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठन के  ऐसे अधिकारी:-  (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या  (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में नियमित आधार पर उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए यथा विहित निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है :-  <b>आवश्यक:</b>  (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री ;  (ii) दंडिक मामलों का अभियोजन करने का दस वर्ष का अनुभव।  <b>टिप्पण :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।  (प्रतिनियुक्ति की अवधि, ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी /किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वास्तविक पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। )</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष - अध्यक्ष</li> <li>2. महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - सदस्य ( एन आई ए )</li> <li>3. संयुक्त सचिव (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय। - सदस्य</li> </ol>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. ज्येष्ठ लोक अभियोजक	* 02 (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 3; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु.	चयन	आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री। (ii) दांडिक मामलों के संचालन करने में अधिवक्ता के रूप में 08 वर्ष का विधि-व्यवसाय या राज्य न्यायिक सेवा या राज्य या केन्द्रीय सरकार के विधि विभाग में 08 वर्ष का अनुभव। (iii) कम्प्यूटर और इंटरनेट पर शब्द प्रक्रमण का बुनियादी ज्ञान। टिप्पण I - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण II - अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएँ : हाँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी हैं) / आमेलन, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति - ऐसे ज्येष्ठ लोक अभियोजक जिन्होंने वेतन बैंड 3; 15600-39100रु+ ग्रेड वेतन 5400रु में पाँच वर्ष नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) /आमेलन: केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठन के ऐसे अधिकारी:- (क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii) जो मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-3 में वेतनमान 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विहित निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है :- <b>आवश्यक:</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री ; (ii) दंडिक मामलों का अभियोजन करने का आठ वर्ष का अनुभव । <b>टिप्पण :</b> पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । प्रतिनियुक्ति की अवधि, ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी./किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष ( एन आई ए)</li> <li>2. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -सदस्य ( एन आई ए)</li> <li>3. निदेशक (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय । - सदस्य</li> </ol>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लोक अभियोजक	* 03 (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 3; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण</b> : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री। (ii) द्वांड़िक मामलों के संचालन करने में अधिवक्ता के रूप में 07 वर्ष का विधि-व्यवसाय या राज्य न्यायिक सेवा या राज्य या केन्द्रीय सरकार के विधि विभाग में 07 वर्ष का अनुभव। (iii) कम्प्यूटर और इंटरनेट पर शब्द प्रक्रमण का बुनियादी ज्ञान। <b>टिप्पण I</b> - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण II</b> - अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	सीधी भर्ती जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) /आमेलन द्वारा।

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): - केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii) जो मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-2 में वेतनमान 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य पद पर नियमित आधार पर उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) में यथा विहित निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है :-</p> <p><b>आवश्यक:</b></p> <p>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में बैचलर डिग्री है ;</p> <p>(ii) दंडिक मामलों का अभियोजन करने का पाँच वर्ष का अनुभव ।</p> <p><b>टिप्पण :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी/किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>	<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण - अध्यक्ष ( एन आई ए )</li> <li>2. महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण -सदस्य ( एन आई ए )</li> <li>3. संयुक्त सचिव, (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय । - सदस्य</li> </ol>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
ज्येष्ठ तंत्र विश्लेषक	* 01 (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड- 3; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 7600रु.	लागू नहीं होता	आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) <b>टिप्पण</b> : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणित/सक्रिया अनुसंधान/भौतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र/वाणिज्य में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या समतुल्य। (ii) प्रोग्रामिंग के लिए :- इलेक्ट्रॉनिक्स आंकड़ा प्रक्रमण/कम्प्यूटर ओरिएण्टेड आप्टीमाइजेशन, सूचना या स्टैटिकल सिस्टम का 7 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 3 वर्ष का अनुभव एकचुवल कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग और सिस्टम डिजाइन पर किसी उत्तरदायित्व हैसियत में हो। (iii) सूचना तंत्र के लिए - इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा प्रक्रमण कार्य का 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव डिजाइन, विकास या कम्प्यूटरीकृत सूचना संचयन और पुनः प्राप्ति तंत्र में पर्यवेक्षी हैसियत में हो। <b>टिप्पण I</b> - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण II</b> - अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है। <b>वांछनीय</b> (i) इंजीनियरी/कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या आवश्यक के



						<p>अधीन उपरोक्त (i) में किसी भी विषय में डाक्टर (ii) तंत्र विश्लेषण या उच्च कम्प्यूटर प्रणाली में प्रशिक्षण (iii) निम्नलिखित क्षेत्र में एक वर्ष या एक से अधिक वर्ष का अनुभव :-</p> <p>(क) आंकड़ा-आधार सूचना प्रबंध तंत्र के विकास (ख) कम्प्यूटर आप्टीमाइजेशन समस्या के समाधान अर्थात् लाइनर प्रोग्रामिंग, मिश्रित इंटेजर प्रोग्रामिंग । (ग) कम्प्यूटर आपरेशन प्लानिंग माडल्स के समाधान ।</p>
--	--	--	--	--	--	---

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) / आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रतिनियुक्त (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) /आमेलन :-</b>  केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :-  (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या  (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-3 के वेतनमान 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. में या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में नियमित आधार पर पांच वर्ष सेवा की है ; और  (ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और विहित अनुभव है ।  <b>टिप्पण I :</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी/किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक सविदा भी है) साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।  <b>टिप्पण II :</b> प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्त के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले (उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन/वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन/ वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापित ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित ग्रेड वेतन/वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।</p>	<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण - अध्यक्ष ( एन आई ए )</li> <li>2. अपर महानिदेशक/महानिरीक्षक राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण ( एन आई ए ) - सदस्य</li> <li>3. संपुक्त सचिव/ निदेशक (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय । - सदस्य</li> </ol>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लेखाकार	* 01 (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड- 2; 9300- 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति

(11)	(12)	(13)
<p><b>प्रतिनियुक्तः -</b>  केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों के ऐसे अधिकारी :-  (क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या  (ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1 के वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. में या समतुल्य पदों पर उस श्रेणी में नियमित आधार पर छह वर्ष सेवा की है ; और  (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव है :-  <b>आवश्यक</b>  (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री ।  (ii) केन्द्रीय सरकार के संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा (एस ए एस ) परीक्षा में उत्तीर्ण ; या  सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान (आई एस टी एस ) में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण लिया हो या समतुल्य और रोकड़ लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव ।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी/किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

<p>PHOTOGRAPHER (फोटोग्राफर)</p>	<p>* 01 (2011) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।</p>	<p>साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसंधितीय</p>	<p>वेतन बैंड 2; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) <b>टिप्पण</b> : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	<p><b>आवश्यक -</b> (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री। (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से आशुलिपिक का पदधारक। (iii) आशुलिपि के विभिन्न शाखाओं में तीन वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत उसके सभी तकनीकी संबंधी वैज्ञानिक आशुलिपि सहित सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान भी है। वांछनीय (i) वैज्ञानिक प्रयोगशाला में आशुलिपि का अनुभव (ii) विडियोग्राफी में अनुभव। <b>टिप्पण I</b> - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण II</b> - अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।</p>
--------------------------------------	--	--	--	-----------------------	---	--

(8)	(9)	(10)
नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): - केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ध सरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधीन ऐसे अधिकारी:-</p> <p>क)(i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं, या (ii) जो मूल काडर/विभाग में वेतन बैंड-1 में वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.के पद पर नियमित आधार पर उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; और (iii) जिन्होंने मूल काडर / विभाग में वेतन बैंड-ग, 5200 - 20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष सेवा की है ; और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएँ और विहित अनुभव है ।</p> <p>(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी/किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।)</p>	<p>पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ( एन आई ए) - अध्यक्ष</li> <li>पुलिस अधीक्षक, ( एन आई ए) - सदस्य</li> <li>अवर सचिव (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय - सदस्य</li> <li>केन्द्रीय न्याय संबंधी विज्ञान के प्रयोगशाला के ज्येष्ठ विज्ञानी अधिकारी (श्रेणी- I) और ज्येष्ठ विज्ञानी अधिकारी (श्रेणी-II) - सदस्य</li> </ol>	<p>प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।</p>

[फा. सं. 21011/1/2010-आईएस-1]

धर्मन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****(Internal Security-I Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th April, 2012

**G.S.R. 233(E).**—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' & 'B' posts in the National Investigation Agency under the Ministry of Home Affairs, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency Group 'A' and 'B' posts Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the post mentioned in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and scale of Pay.**—The number of posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

**5. Initial Constitution.**—The incumbents of the posts mentioned in the said Schedule who on the date of publication of these rules are holding the post on regular basis shall be deemed to have been appointed under these rules and the service rendered by them in the said post on regular basis before the said publication shall be taken into account for deciding their eligibility for promotion to the next higher grade.

**6. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**7. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**8. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of Post.	Number of Post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Technical Forensic Psychologist	*01 (2010) * Subject to variation dependent workload of	General Central Service Group - 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -3, Rs.15600 - 39100/- with Grade pay of Rs. 5400/-	Not Applicable	Age not exceeding 35 years (Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government)  <b>Note:</b> - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).



Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p><b>Essential:-</b></p> <p>(i) Master's degree in Criminology or Clinical Psychology regular course from a recognised University.</p> <p>(ii) Three years' experience in applied Psychology or Criminology/Crime Investigation.</p> <p><b>Desirable -</b></p> <p>(i) Doctorate Degree in Psychology from recognised University.</p> <p>(ii) Three years'</p>	No	Two years for direct recruits.	Deputation (including Short Term Contract) failing which by direct recruitment.	<p><b>Deputation (Including Short Term Contract):-</b></p> <p>Officers under the Central Government/State Government or Universities/recognised Research Institutions/Union Territories or Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisation:-</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department, or</p> <p>(ii) With two years' service in the grade on regular basis in posts in the Pay Band -2, Pay Scale of Rs. 9300-34800/- with</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspector General, National Investigation Agency - Chairman.</li> <li>2. Deputy Inspector General (Administration), National Investigation Agency - Member.</li> <li>3. Director (Internal</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.</p>

<p>experience in practicing clinical psychology. (iii) M. Phil in clinical Psychology; or PG Diploma in Forensic Psychology; or M. Phil in Forensic Psychology.</p> <p><b>Note-I:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of UPSC in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note-II:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to SC and ST if, at any stage or selection, the UPSC are of the opinion that sufficient number</p>				<p>Grade Pay of Rs. 4800/- or equivalent in the parent cadre/department; or</p> <p>(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the Pay Band -2, Pay Scale of Rs. 9300-34800/- with Grade pay Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7.</p> <p><b>Note:-</b>Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation/department in the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years'. The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years' as on closing date of receipt of</p>	<p>Security), Ministry of Home Affairs - Member</p> <p>4. Director, Central Forensic Science Laboratory - Member</p> <p>5. Senior Scientific Officer (Grade-I), Central Forensic Science Laboratory - Member.</p>	
--	--	--	--	--	---	--



(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p><b>Essential -</b></p> <p>(i) M.Sc. Degree in Human Biology/Microbiology/Zoology/Anthropology (Physical)/ Botany or M.Sc. in Forensic Science with Biology/Zoology as one of the subjects at B.Sc. level from a recognised university.</p> <p>(ii) Three years' experience in a Biological Laboratory.</p> <p><b>Desirable</b></p> <p>(i) Doctorate Degree in Human Biology/Microbiology/Zoology/Anthropology (Physical)/Botany</p> <p><b>Note-1:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of UPSC</p>	No	Two years for direct recruits.	Deputation (including Short Term Contract) failing which by direct recruitment.	<p><b>Deputation (Including Short Term Contract):-</b></p> <p>Officers under the Central Government/State Government/ Universities/recognised Research Institutions/Union Territories/ Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisation:-</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or</p> <p>(ii) With two years' service in the grade on regular basis in posts in the Pay Band -2, Pay Scale of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/- or equivalent in the parent cadre/department; or</p> <p>(iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the Pay Band -2, Pay Scale of Rs. 9300-34800/- with Grade pay Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre/department;</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of : -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspector General, National Investigation Agency - Chairman.</li> <li>2. Deputy Inspector General (Administration), National Investigation Agency - Member.</li> <li>3. Director (Internal Security), Ministry of Home Affairs - Member</li> <li>4. Director, Central Forensic Science Laboratory - Member</li> <li>5. Senior Scientific Officer (Grade-I), Central Forensic</li> </ol>	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.</p>

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note-II:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to SC and ST if, at any stage or selection, the UPSC are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>				<p>and</p> <p>(b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7.</p> <p><b>Note:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation/department in the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years'. The maximum age limit for appointment by Deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years' as on closing date of receipt of application.</p>	<p>Science Laboratory - Member.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Explosive Expert	*01 (2011) * Subject to variation dependent workload	General Central Service Group - 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -3, Rs.15600 - 39100/- with Grade pay of Rs.5400/-	Not Applicable	Age not exceeding 35 years (Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Govt.)  Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential -  (i) Master's degree in Chemistry OR M.Sc. in Forensic Science with Chemistry as one of the subjects at B.Sc. level from a recognised university. (ii) Five years' experience in examination of explosives and fire-arms.	No	Two years for direct recruits.	Deputation (including Short Term Contract) failing which by direct recruitment.	<u>Deputation (Including Short Term Contract):-</u> Officers under the Central Government/State Government/Universities/recognised Research Institutions/Union Territories/Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisation:-  (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the Pay Band -2.	Group Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :-  1. Inspector General, National Investigation Agency - Chairman.  2. Deputy Inspector General (Administration), National	'A'  Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p><b>Desirable</b> (i) Doctorate degree in Chemistry.</p> <p><b>Note-I:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of UPSC in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note-II:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to SC and ST if, at any stage or selection, the UPSC are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>				<p>Pay Scale of Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4800/- or equivalent in the parent cadre/department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the Pay Band -2, Pay Scale of Rs. 9300-34800/- with Grade pay Rs. 4600/- or equivalent in the parent cadre/department; and (b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7.</p> <p><b>Note:-</b> Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation/department in the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years'. The maximum age limit for appointment by Deputation (including short term contract shall be not exceeding 56 years' as on closing date of receipt of application.</p>	<p>Investigation Agency - Member.</p> <p>3. Director (Internal Security), Ministry of Home Affairs - Member</p> <p>4. Director, Central Forensic Science Laboratory - Member</p> <p>5. Senior Scientific officer (Grade-I), Central Forensic Science Laboratory - Member.</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Deputy legal Advisor	*01 (2011) * Subject to variation dependent workload	General Central Service Group - 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-3, Rs.15600 - 39100/- with Grade pay of Rs. 7600/-	Selection	Age not exceeding 50 years (Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Govt.)  Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Degree in Law of a recognised University.  (ii) 10 years practice as an Advocate in conducting criminal cases or 10 years experience of State Judicial Service or Legal Department	Age : No EQs : Yes	One year for direct recruits.	Promotion, failing which by deputation (including short term contract)/absorption, failing both by direct recruitment.	<u>Promotion</u> - Senior Public prosecutor with five years' regular service in the Pay Band -3, Rs.15600 - 39100/- with Grade pay of Rs.6600/-.  <u>Deputation(including short term contract)/Absorption:</u> Officers of the Central	Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of: - 1.Chairman of Union Public Service Commission - Chairman. 2. Director General,	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.



(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>of State or Central Government.</p> <p>(iii) Basic Knowledge of word processing on computer and internet.</p> <p><b>Note-I:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of UPSC in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note-II:</b>The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to SC and ST if, at any stage or selection, the UPSC are of the opinion that sufficient number of candidates from</p>				<p>Government/State Government/ Research Universities/Public Undertakings/Semi-Government/ Autonomous Organisation:-</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department, or</p> <p>(ii) With five years' service in the grade on regular basis in posts in the Pay Band-3, Scale of Pay Rs. 15,600- 39,100/- with Grade Pay of Rs. 6600/- or equivalent in the parent cadre/ department, and</p> <p>(b) Possessing following educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits in column 7:-</p> <p><b>Essential :</b></p> <p>(i) Bachelors' Degree in Law from a recognised university;</p> <p>(ii) Ten years' experience in Prosecution of Criminal Cases.</p> <p><b>Note:-</b> The departmental</p>	<p>National Investigation Agency (NIA) - Member.</p> <p>3.Joint. Secretary (Internal Security), Ministry of Home Affairs - Member</p>	

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>				<p>officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputations shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion.</p> <p>(Period of deputation (including short term contract), including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).</p>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>5. Senior Public Prosecutor</b>	*02 (2011) * Subject to variation dependent workload of	General Central Service Group - 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -3, Rs.15600-39100/- with Grade pay of Rs. 6600/-	Selection	Age not exceeding 40 years (Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Govt.)  <b>Note:</b> - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Essential:-</b> (i) Degree in Law of a recognised University.  (ii) 08 years practice as an Advocate in conducting criminal cases or 08 years experience of State Judicial Service or Legal Department	Age: no EQs: yes	01 year for direct recruits.	Promotion, failing which by deputation (including short term contract)/absorption, failing both by direct recruitment.	<b>Promotion:-</b> Public prosecutor with five years' regular service in the Pay Band -3, Rs. 15600 - 39100/- with Grade pay of Rs. 5400/-.  <b>Deputation(including short term contract)/Absorption:-</b> Officers of the Central Government/State	Group 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Director General, National Investigation Agency (NIA) - Chairman. 2. Inspector	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>of State or Central Government.</p> <p>(iii) Basic Knowledge of word processing on computer and internet.</p> <p>Note-I: Qualifications are relaxable at the discretion of UPSC in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note-II: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to SC and ST if, at any stage or selection, the UPSC are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities</p>				<p>Government/Recognized Research Institutions/ Universities/Public Sector Undertakings/Semi-Government/ Statutory or Autonomous Organisation:-</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department, or</p> <p>(ii) With five years' service in the grade on regular basis in posts in the Pay Band-3, Pay Scale of Rs. 15,600- 39,100/- with Grade Pay of Rs. 5400/- or equivalent in the parent cadre/ department, and</p> <p>(b) Possessing following educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits in column 7:-</p> <p>Essential :</p> <p>(i) Bachelors' Degree in Law from a recognised university;</p> <p>(ii) Eight years' experience in Prosecution of Criminal Cases.</p> <p>Note: The departmental</p>	<p>General, National Investigation Agency (NIA) - Member.</p> <p>3. Director (Internal Security), Ministry of Home Affairs - Member.</p>	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Public Prosecutor	*03 (2011) * Subject to variation dependent workload	General Central Service Group - 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -3, Rs.15600-39100/- with Grade pay of Rs.5400/-	Not Applicable	Age not exceeding 35 years (Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government)  Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Degree in Law of a recognised University.  (ii) 7 years practice as an Advocate in conducting criminal cases or 7 years experience of State Judicial Service or Legal Department of State or Central Government.	Not applicable	One year for direct recruitment.	Direct recruitment failing which by Deputation (including short term contract)/absorption.	<u>Deputation(including short term contract)/absorption:-</u> Officers of the Central Government/State Government/Recognized Research Institutions/Universities/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisation:-  (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department, or	Group 'A' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of:-  1. Director General, National Investigation Agency - Chairman.  2. Inspector General, National Investigation	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>(iii) Basic Knowledge of word processing on computer and internet.</p> <p><b>Note-I:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of UPSC in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note-II:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to SC and ST if, at any stage or selection, the UPSC are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>				<p>(ii) With two years' service in the grade on regular basis in posts in Pay Band-2, Pay Scale of Rs.9300 - 34,800/- with Grade Pay of Rs. 4800/- or equivalent in the parent cadre/ department, and</p> <p>(b) Possessing following educational qualifications and experience:-</p> <p><b>Essential :</b></p> <p>(i) Bachelors' Degree in Law from a recognised university;</p> <p>(ii) Five years' experience in Prosecution of Criminal Cases.</p> <p><b>Note-</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>	<p>Agency - Member.</p> <p>3. Joint Secretary (Internal Security), Ministry of Home Affairs - Member</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
<b>8. Senior System Analyst</b>	*01 (2011) * Subject to variation dependent of workload	General Central Service Group - 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -3, Rs.15600- 39100/- with Grade pay of Rs. 7600/-	Not Applicable	Age not exceeding 50 years (Relaxable for Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Govt.)  Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(i) Masters' Degree in Statistics/Mathematics/Operations Research/Physics or Economics/Commerce or Degree in Engineering/Computer Science of a recognised University or equivalent.  (ii) For	Not applicable	One year for direct recruits only.	Deputation (including short term contract)/absorption, failing which by direct recruitment.	<u>Deputation(including short term contract)/absorption:-</u>  Officers under the Central Government/State Government/Union Territories:-  (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or  (ii) With five years' service in the grade on regular basis in posts in the Pay Band -3, Pay	Group 'A' Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of: -  1. Director General, National Investigation Agency (NIA) - Chairman.  2. Additional Director	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.



(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>programming-7 years' experience of electronics data processing/computer oriented optimisation, information or statistical system, out of which at least 3 years' experience should be in a responsible capacity on actual computer programming and system design.</p> <p>(iii) For Information System - 10 years' experience of electronic data processing work, out of which at least 5 years' experience should be in a Supervisory capacity in design, development or organising computerised information storage and retrieval system.</p>				<p>Scale of Rs.15600 - 39100/- with Grade Pay of Rs.6600/- or equivalent in the parent cadre/ department, and</p> <p>(b) Possessing following educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7.</p> <p><b>Note-I:</b> Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation/department in the Central Govt. shall ordinarily not exceed four years'. The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years' as on closing date of receipt of application.</p> <p><b>Note-II:</b> For the purpose of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis an officer prior to</p>	<p>General/Inspector General, National Investigation Agency (NIA) - Member.</p> <p>3.Joint Secretary (Internal Security), Ministry of Home Affairs (MHA) - Member</p>	

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p><b>Note-I:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of UPSC in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note-II:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to SC and ST if, at any stage or selection, the UPSC are of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable</p>				<p>1.1.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6<sup>th</sup> Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the pay commission except where has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.</p>		

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>(i) Masters' Degree in Engineering/Computer Science or Doctorate in any of these subjects in (i) above under the 'Essential Qualification'.</p> <p>(ii) Training in System Analysis or Advanced Computer System.</p> <p>(iii) Experience of one or more of the following field:-</p> <p>(a) Development of Data-base management information system.</p> <p>(b) Computer solutions of optimisation problems, e.g. liner programming, mixed integer programming.</p> <p>(c) Computer solutions of operational economy wise</p>						

[Part II - Page 3(1)]

INDIA : 1980 : 100

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
planning models.						

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Accountant	*01 (2011) Subject to variation dependent of workload	General Central Service Group – 'B', Non- Gazetted, Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300 –34800/- with Grade pay of Rs. 4200/-	Selection	Not Applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Deputation.	<p><b>Deputation:-</b> Officers under the Central Government/State Government/ Union Territories.</p> <p>(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or (ii) With six years' service in the grade on regular basis in posts in the Pay Band –1, Pay Scale of Rs. 5200-20200/- with Grade Pay of Rs. 2800/- or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) Possessing following educational qualifications and experience:-</p> <p><b>Essential:-</b> (i) Bachelor's Degree from a recognised University. (ii) A pass in the subordinate</p>	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
				<p>Accounts Service (SAS) Examination conducted by organized Accounts Department of the Central Government;; OR</p> <p>Should have been undergone training in Cash and Accounts work in the Institute of Secretarial Training and Management (ISTM) or equivalent and three years' experience in cash, accounts and budget work.</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation/department in the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years'. The maximum age limit for appointment by Deputation shall be not exceeding 56 years' as on closing date of receipt of application).</p>		

[ (0) 308 - 11 100 ]

10/11/11 : 10/11/11

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Photographer	*01 (2011) • Subject to variation as per workload	General Central Service Group - 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs.9300 - 34800/- with Grade pay of Rs. 4200/-	Not Applicable	Age not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servant up to 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government)  Note: - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential - (i) Bachelors' Degree from a recognised University (ii) Diploma holder in photography from a recognised Institute. (iii) Three years' experience in various branches of photography, including	No	Two years for direct recruit.	Deputation (including Short Term Contract) failing which by direct recruitment.	<u>Deputation (Including Short Term Contract) :-</u>  Officers under the Central Government/State Government/ Universities/recognised Research Institutions/Union Territories/ Public Sector Undertakings/Semi-Government, Statutory or Autonomous Organisation:-  (a) (i) Holding analogous posts	Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of: -  1. Deputy Inspector General, National Investigation Agency (NIA) - Chairman.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including Short Term Contract).

5  
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY  
[Part II—Sec. 3(1)]

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<p>experience of scientific Photography with theoretical and practical knowledge of all its techniques.</p> <p><b>Desirable -</b>            (i) Experience in photography in scientific laboratory.            (ii) Experience in Videography.</p> <p><b>Note-I:</b>            Qualifications are relaxable at the discretion of SSC in case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note-II:</b> The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the SSC in the case of candidates belonging to SC and ST if, at any stage or selection, the SSC are of the opinion that</p>				<p>on regular basis in the parent cadre/department; or            (ii) With six years' service in the grade on regular basis in posts in the Pay Band -1, Pay Scale of Rs. 5200-20200/- with Grade Pay of Rs. 2800/- or equivalent in the parent cadre/department; or            (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the posts in the Pay Band -1, Pay Scale of Rs. 5200-20200/- with Grade pay Rs. 2400/- or equivalent in the parent cadre/department; and</p> <p>(b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits in column 7.</p> <p>(Period of deputation(Including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation/department in</p>	<p>2. Superintendent of Police, NIA - Member</p> <p>3. Under Secretary (Internal Security), Ministry of Home Affairs - Member</p> <p>4. Senior Scientific officer (Grade-I) and Senior Scientific officer (Grade-II) of Central Forensic Science Laboratory - Member.</p>	

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.				the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years'. The maximum age limit for appointment by Deputation (including short term contract) shall be not exceeding 56 years' as on closing date of receipt of application).		

[F.No. 21011/1/2010-IS-1]  
DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.